

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय  
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)  
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 458/NG/2020/Engg/SPJ

श्री विनोद कुमार यादव, पुत्र श्री सीतल यादव, फिटर ग्रेड-III, जीपी- 1900, लेवल-02, (पदावनत पद ट्रैकमेन्टेयर/खलासी- जीपी- 1800, लेवल-01) अधीन सिसेई/कैरेज/पश्चिम रेलवे/भावनगर परा कारखाना एवं श्री राजेश मीना, पुत्र लालू प्रसाद मीना, ट्रैकमेन्टेयर-IV, जीपी- 1800, लेवल-01 अधीन सिसेई(पीवे)/झंझारपुर /पूमरे/समस्तीपुर मंडल का भावनगर परा कारखाना के पत्र सं०- CWM/E.1140/BKY Dated 20.03.2020 तथा इस मंडल के पत्र सं०- का/283/इंजी/ज०वि०प्र०/अं०रे०/पार०स्था०/सम/2020, दिनांक 02.06.2020 के द्वारा अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृत है।

श्री विनोद कुमार यादव, भावनगर परा कारखाना/पश्चिम रेलवे के पत्र संख्या:- CWM/E.1140/BKY Dated 12.09.2020 द्वारा विरमित होकर इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक 16.09.2020 को रिपोर्ट किये हैं, को ट्रैकमेन्टेयर-IV के पद पर सिसेई(पीवे)/झंझारपुर के अधीन पदस्थापित किया जाता है। कर्मचारी दिनांक 16.09.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक प्रतीक्षरत रहे हैं।

उक्त स्थानान्तरण पारस्परिक अनुरोध पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

श्री राजेश मीना, पुत्र लालू प्रसाद मीना, ट्रैकमेन्टेयर-IV, जीपी- 1800, लेवल-01 अधीन सिसेई(पीवे)/झंझारपुर /पूमरे/समस्तीपुर मंडल को इस कार्यालय के पत्र सं.- का/283/इंजी/ ज०वि०प्र०/अं०रे०/पार०स्था०/सम/2020, दिनांक 31.08.2020 को भावनगर परा कारखाना हेतु विरमित किया जा चुका है।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री विनोद कुमार यादव का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Binod Kumar Yadav




(आर. आर. लकड़ा)  
मंडल कार्मिक अधिकारी  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर

सं०- का/283/इंजी/ज०वि०प्र०/अं०रे०/पार०स्था०/सम/2020

दिनांक 18.09.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य कारखाना प्रबंधक/ भावनगर परा/पश्चिम रेलवे, पिन न०-364003।
2. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर
3. वमविप्र./समस्तीपुर
4. समई(द्वितीय)/दरभंगा - कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
5. सिसेई(पीवे)/झंझारपुर
6. मुकार्याधी/इंजी० संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
7. मुकार्याधी/इंजी० बिल
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो/सम० मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी
10. अभिलेख हेतु।

  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर  
मंडल कार्मिक अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर